संख्या– /76/IX/08/स0ना0उ0

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय,
वी0आई0पी0हैंगर,जौलीग्राण्ट एअरपोर्ट देहरादून ।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादून:दिनॉक: 25 अप्रैल, 2008

विषयः– **नागरिक उड्डयन निदेशालय,उत्तराखण्ड के लिये वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुदान संख्या– 24 के लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन 02–विमान पत्तन 102–हवाई अड्डा 00–00– पक्ष के बजट को निदेशक के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2050/01(छः)/बजट/2007–08,दिनॉक 08 अप्रैल, 2008 के कम में प्रमुख सचिव वित्त,उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–267/xxvii(i)/2008,दिनॉक 27 मार्च,2008 तथा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पत्र संख्या–130/प्र.स.मु.मं./2008,दिनॉक 03 अप्रैल,2008 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय नागरिक उड्डयन विभाग,उत्तराखण्ड के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में **अनुदान संख्या– 24 के लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन 02–विमान पत्तन 102–हवाई अड्डा 00–00–पक्ष** की निम्न विवरणानुसार स्तम्भ–1 में अंकित शीर्षो की मानकमदवार स्तम्भ–4 में अंकित धनराशि रुपये **7,00,000.00** (रुपये सात लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–24 लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन 02–विमान पत्तन 102–हवाई अड्डा 00– 00–	बजट में प्राविधानित कुल धनराशि (2008–09) (हजार रुपये में)	निवर्तन पर रखी गई धनराशि (2008–09) (हजार रुपये में)
	आयोजनेतर	
1	2	3
03 हवाई हवाई पट्टियों का अनुरक्षण 29–अनुरक्षण	200	200
09 पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हवाई पट्टियों की सुरक्षा व्यवस्था 02–मजदूरी	500	500
योग 02	700	700

रुपये सात लाख मात्र

2– वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनॉक 27 मार्च, 2008 में निहित प्रकिया एवं शर्तो का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही व्यय किया जायेगा ।

3– आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा ।

4- ब्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें ब्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5- निर्माण कार्य पर ब्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/ पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त की जाय ।

6- ब्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रुल्स,टैण्डर/कोटेशन विषयक निमयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

7- सामग्री सम्पूर्ति आदि की मद में धनराशि ब्यय करने से पूर्व डी0जी0एस0एण्ड डी0/ टैण्डर/ कोटेशन आदि का सम्पूर्ण विवरण देते हुए प्रथक से शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि ब्यय की जायेगी ।

8- ब्यय करते समय मितब्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

9- ब्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा,जिनके लिये यह स्वीकृत की जा रही है ।

10- किसी भी योजना में तब तक ब्यय नहीं किया जायेगा,जब तक कि विधिवत् गठित आगणनों पर वित्त विभाग के माध्यम से शासन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत न कर दी जाय ।

इस सम्बन्ध में होने वाला ब्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या- **अनुदान संख्या- 24 के लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन 02-विमान पत्तन 102-हवाई अड्डा -आयोजनेतर 00-00-पक्ष की उपरोक्त उल्लिखित स्तम्भ-1 की सुसंगत मदों के नामें डाला जायेगा।**

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-468/xxvii(i)/ 2008, दिनॉक-24-04-2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या- 209(1)/76/**IX/08**/स0ना0उ0,समदिनॉकिंत ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01- महलेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबेरॉय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।
02- वरिष्ट कोषाधिकारी,देहरादून ।
03- श्री एल0एम0पन्त,अपर सचिव वित्त/बजट अधिकारी,उत्तराखण्ड शासन ।
04- वित्त अनुभाग-2
05- गार्ड बुक
06- एन0आई0सी0उत्तराखण्ड सचिवालय ।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा) 25/4
प्रमुख सचिव